राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/03/2024 को संपन्न 518वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

–––00–––

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 515वीं, 516वीं एवं 517वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/02/2024, 28/02/2024 एवं 29/02/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 515वीं, 516वीं एवं 517वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/02/2024, 28/02/2024 एवं 29/02/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स अरविंद कुमार बंसल अर्थ क्ले ब्रिक क्वारी (प्रो.– श्री अरविंद बंसल), ग्राम–परसदा, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2747ए)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान हैः–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 451428 एवं 06/11/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.942 हेक्टेयर एवं 645.16 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	604/5	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि आवेदक के नाम पर है।	
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अरविंद बंसल, प्रोपराईटर उपथित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 604/5 क्षेत्रफल – 4.80 एकड़ क्षमता – 800 टन प्रतिवर्ष (8,00,000 नग) दिनांक – 09/09/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23/05/2034 तक है।

पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 550 नग पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 22/02/2024 वर्ष 2017–18 में 1,600 घनमीटर वर्ष 2018–19 में 1,600 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 1,600 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 1,600 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 1,200 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 1,300 घनमीटर	समिति द्वारा नोट गया कि खनिज विभाग द्वारा जारी उत्पादन आंकड़े की जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्पादन प्रतिपादित हो रहा है। अतः इस संबंध में समिति का मत है कि खनिज विभाग से घनमीटर एवं टन में मिट्टी उत्खनन (बिना फ्लाई ऐश मिश्रण के) के उत्पादन आंकड़े की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत परसदा दिनांक 09/05/2014	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 11/07/2016	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 22/02/2024	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 22/02/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। आवेदित क्षेत्र के 200 मीटर के भीतर खारून नदी स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री अरविंद बंसल अवधि – दिनांक 24/05/2014 से 23/05/2034	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल रायपुर द्वारा जारी दिनांक 09/12/2003	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी–परसदा कला 1.5 कि.मी. स्कूल–परसदा कला 1.5 कि.मी. अस्पताल–अभनपुर 17 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–17 कि.मी. राज्यमार्ग–6.5 कि.मी.	खारून नदी–197 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली	संलग्न है।

	पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल जियोलॉजिकल 60,219 टन माईनेबल 34,379 टन **वर्तमान में रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल 38,851 टन माईनेबल 26,277 टन प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 450 वर्गमीटर मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50 प्रतिशत एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 10 टन चिमनी भट्ठा – 800 वर्गमीटर चिमनी की ऊँचाई – 33 मीटर	वर्षवार उत्खनन प्रथम 387.08 घनमीटर द्वितीय 451.60 घनमीटर तृतीय 516.11 घनमीटर चतुर्थ 516.11 घनमीटर पंचम 580.63 घनमीटर षष्टम 645.15 घनमीटर सप्तम 645.15 घनमीटर अष्टम 645.15 घनमीटर नवम 645.15 घनमीटर दशम 645.16 घनमीटर
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – चिमनी भट्ठा एवं अन्य संरचना होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण – 450 नग	लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट का	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध

	निर्माण, कोयले का सुरक्षित रखने के लिए शेड का निर्माण करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन कर जिग–जैग पद्धति का उपयोग करते हुये ईट निर्माण किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 1.942 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
61	2%	1.22	Following activities at Nearby, Govt. Middle school at, **Village- Khatti**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

2. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खनिज विभाग द्वारा जारी उत्पादन आंकड़े की जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्पादन प्रतिपादित हो रहा है। अतः इस संबंध में खनिज विभाग से घनमीटर एवं टन में मिट्टी उत्खनन (बिना फ्लाई ऐश मिश्रण के) के उत्पादन आंकड़े की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (कम से कम 90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लीज क्षेत्र की सीमा में 1 मीटर की पट्टी में चिमनी का कोई भाग न हो। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर चैन लिंक फेंसिंग की जाए। ताकि पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्लाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. खदान में निर्मित कच्ची ईंटों को लीज क्षेत्र के भीतर सुखाने एवं लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन तथा ईंट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स गुरूदेव स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मुकेश जैन), ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2818)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453682 एवं 29/11/2023	
खदान का प्रकार	फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.96 हेक्टेयर एवं 9,030 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	1859(पार्ट)	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मुकेश जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि मेसर्स गुरूदेव स्टोन, प्रो.– श्री मुकेश जैन के नाम पर है।	संलग्न है।

पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में ई.सी. धारक – मेसर्स आनंद स्टोन इंडस्ट्रीज, प्रोपराईटर – श्रीमती सपना सिंघानिया खदान का प्रकार – फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 1859 क्षेत्रफल – 0.96 हेक्टेयर क्षमता – 9,030 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 03/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07/05/2042 तक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावत द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का नाम हस्तांतरण नहीं हुआ है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 17/01/2023 वर्ष 2017–18 में 341.5 घनमीटर वर्ष 2018–19 में 488.5 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 485.75 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 618 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 271 घनमीटर	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पारागांव दिनांक 12/11/2011	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 12/10/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 17/01/2023	01 खदान, क्षेत्रफल 1.92 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 17/01/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर के भीतर महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स गुरूदेव स्टोन, प्रोपराईटर – श्री मुकेश जैन अवधि–08/05/2012 से 07/05/2042	पूर्व में लीज धारक – मेसर्स आनंद स्टोन, प्रोपराईटर – श्रीमती सपना सिंघानिया लीज हस्तांतरण – दिनांक 31/01/2020
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल रायपुर द्वारा जारी दिनांक 21/02/2024	वनक्षेत्र से दूरी – 17.61 कि.मी.।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – पारागांव 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – पारागांव 500 मीटर अस्पताल – आरंग 6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 130 मीटर	महानदी – 120 मीटर

पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेनुअल **माईनिंग प्लान अनुसार रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 55,860 घनमीटर (1,39,650 टन) माईनेबल 26,397 घनमीटर (65,992 टन) रिकव्हरेबल 19,798 घनमीटर (49,495 टन) प्रस्तावित गहराई 10 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 7 वर्ष से अधिक प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 9,030 टन द्वितीय 9,030 टन तृतीय 9,030 टन चतुर्थ 9,030 टन पंचम 9,030 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 2,801 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,377 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – ऑफिस बिल्डिंग	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 4 मीटर मात्रा – 12,828 घनमीटर	2,800 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। 4,084 घनमीटर – पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव करने हेतु उपयोग। शेष 5,944 घनमीटर – लीज क्षेत्र में अस्थायी रूप से भण्डारित कर रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – टैंकरों के माध्यम से	ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 9,68,600 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, लीज के 7.5 मीटर में भविष्य में भी कोई उत्खनन नहीं किये जाने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैः– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

		जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3.
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.88 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.27	2%	0.72	Following activities at Nearby, **Village- Paragaon**	
			Pavitra van nirman	6.41
			Total	**6.41**

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत ''पवित्र वन निर्माण'' के तहत् (पीपल, नीम, कदंब, जामुन, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,08,000 रूपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,99,500 रूपये तथा

आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,42,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पारागांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 333, क्षेत्रफल 1.210 हेक्टेयर में से 0.10 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुयार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लीज क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. मेसर्स गुरूदेव स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मुकेश जैन) को ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 1859(पार्ट) में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.96 हेक्टेयर, क्षमता–9,030 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती राधिका तिवारी), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2157)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400790/2022, दिनांक 22/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/10/2022 (तकनीकी खराबी होने के कारण ऑनलाईन साईट में 17/11/2022 को प्रदर्शित) द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम – हस्तिनापुर, तहसील – मनेन्द्रगढ़, जिला – कोरिया (वर्तमान में जिला – मनेन्द्रगढ़ – चिरमिरी – भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक – 299, कुल क्षेत्रफल–0.83 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,444 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 299, कुल क्षेत्रफल–0.89 हेक्टेयर, क्षमता–5,940 घनमीटर (15,444 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्रीमती राधिका तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के क्रेशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेशर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके क्रेशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के खदान एवं क्रेशर के नजदीक जीवनदायनी हसदेव नदी बहती है, जो कि लगातार प्रदूषित हो रही है एवं जिसका निरंतर दोहन हो रहा है।
5. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
6. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।
8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।
9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।
10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।
12. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।
13. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।"

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन

प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. नं. 117/2023 दिनांक 12/07/2023 द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "On the basis of the report submitted by the Revenue Department and the Mining department, the Competent Authority, Collector, MCB has initiated action for penalty ago against M/s Radhika Tiwari (Khasra No 299, area 0.83 hectare, Village Hastinapur) for illegal mining and storage beyond the lease area. A show cause notice has been issued to M/s Radhika Tiwari vide letter No./86/Khanij 2023 MCB dated 29/05/2023 is attached at Annexure-XX imposing a total penalty of Re 20,03,920 (Rupees Twenty Lacs Three Thousand Nine Hundred Twenty Only) under Section 21-23-(A)(B) of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 for violations under Section 4(1) Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and Chhattisgarh Minor Minerals Rules, 2015 M/s Radhika Tiwari has been given 15 days to file their reply for the notice. The further proceedings are being done as per the law."

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/03/2024 के माध्यम से सूचना दिया गया

कि माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के द्वारा जारी पारित आदेश ओ.ए. नं. 117/2023, दिनांक 12/07/2023 के आधार पर कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 246/खनिज/2023/एम.सी.बी. में पारित आदेश दिनांक 21/07/2023 के विरूद्ध आवेदक के द्वारा माननीय न्यायालय, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को दिनांक 28/08/2023 को अपील की गई है, जो प्रक्रियाधीन है।

उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त अपील के परिपेक्ष्य में निर्णय प्राप्त होने उपरांत प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव होगा। अतः अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज (प्रो.–श्री दुखीराम राठौर, करमंदा लाईम स्टोन (लो–ग्रेड) माईनिंग प्रोजेक्ट), ग्राम–करमंदा, तहसील–बलोदा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2154)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 83067 एवं 21/09/2022 ई.सी. – 450908 एवं 02/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.979 हेक्टेयर एवं 1,10,010 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1032/2, 1032/3, 1033/2, 1034/1, 1034/2, 1035, 1036 एवं 1038/2	
बैठक का विवरण	507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र कुमार राठौर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री नरेन्द्र राठौर, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एएमपीएल इन्व्हायरो प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री मोहम्मद महमूद गौस उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 1032/2, 1032/3, 1034/1, 1035 एवं 1034/2 – श्री नरेन्द्र कुमार, खसरा क्रमांक 1036, 1033/2 एवं 1038/2 – श्री उमेश कुमार के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	–
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत करमंदा दिनांक 03/02/2022	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/09/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 20/09/2022	16 खदानें, रकबा 12.304 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 20/09/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज (प्रो.– श्री दुखीराम राठौर) दिनांक –16/08/2022 वैधता अवधि –1 वर्ष	एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा द्वारा जारी दिनांक 25/05/2022	वन क्षेत्र से दूरी– 5 कि.मी. वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी – 700 मीटर
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – करमंदा 500 मीटर स्कूल ग्राम – करमंदा 0.67 कि.मी. अस्पताल 5.34 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 8.3 कि.मी.	हसदेव नदी – 2.93 कि.मी.
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 1,10,010.0 टन द्वितीय 1,04,040.0 टन

	रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 14,34,775 टन माईनेबल 6,91,375 टन रिकव्हरेबल 6,56,806 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 7 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	तृतीय 99,120.0 टन चतुर्थ 97,057.5 टन पंचम 97,057.5 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,050 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 14,668 घनमीटर	2,998 घनमीटर – ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 11,670 घनमीटर – सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1015/2, रकबा 0.238 हेक्टेयर क्षेत्र) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जायेगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 945 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,84,500 रूपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 504, दिनांक 02/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग – 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 $PM_{2.5}$ – 61.49 से 69.95 μg/m^3 PM_{10} – 112.56 से 130.42 μg/m^3 SO_2 – 5.24 से 9.65 μg/m^3 NO_2 – 10.32 से 18.81 μg/m^3 Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 42.7 से 50.2 Night L_{eq} – 34.7 से 41.8 PM_{10} का मान उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य – 12 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 $PM_{2.5}$ – 40.6 से 24.5 μg/m^3 PM_{10} – 71.2 से 92.4 μg/m^3 SO_2 – 10.0 से 14.6 μg/m^3 NO_2 – 11.7 से 17.2 μg/m^3 Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 48.6 से 50.6	गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 08 भू-जल – 04 सतही जल – 03 ध्वनि स्तर – 08 मिट्टी के नमूने – 05 अतिरिक्त गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 08 भू-जल – 06 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 08 मिट्टी के नमूने – 06 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna)

	Night L_{eq} – 41.7 से 44.3 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	राज्यमार्ग हेतु – 149 बी वर्तमान में 335.2 पी.सी.यू. / घंटा व्ही / सी अनुपात (V/C ratio) 0.11 परियोजना उपरांत 339.28 पी.सी.यू. / घंटा व्ही / सी अनुपात (V/C ratio) 0.113	राज्यमार्ग हेतु – लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक Excellent के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 97.21 $\mu g/m^3$ है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 28 / 08 / 2023 समय – प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम – करमंदा स्थित आवेदक की निजी भूमि (खसरा क्रमांक 1032 / 2) तहसील – जांजगीर, जिला – जांजगीर–चांपा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 09 / 10 / 2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव / विचार प्रस्तुत किये गये हैं:– 1. बोर ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग से धूल उड़ती है। 2. ब्लास्टिंग से पत्थर खेत में आकर गिरते है जिससे लोगों की जान को खतरा रहता है। 3. गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।	निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:– 1. लाइसेंस धारक कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाएगा। खदान पर खनन के दौरान पानी का छिड़काव किया जाएगा। 2. खदान के चारों तरफ बैरियर लगाए जाएंगे जिससे आस–पास के लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 3. खदान पर आस–पास के लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 16 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 43,39,480 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 7,05,449 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

		अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 14.283 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
48	2%	0.96	Following activities at Nearby, Govt. School **Village- Karmanda**	
			Plantation	2.32
			Total	**2.32**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर पर (आम, नीम, कदम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 27,550 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 15,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 72,550 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,59,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 में PM_{10} – 112.56 से 130.42 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 12 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM_{10} – 71.2 से 92.4 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 12 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत्

स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 12 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्रीमती आनंदी शर्मा), ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1918)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 71310 एवं 20/01/2022 ई.सी. – 450974 एवं 03/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.219 हेक्टेयर एवं 28,425 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	607, 608, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 610/1 एवं 610/2	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री राहुल शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एएमपीएल इन्व्हायरों प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री मोहम्मद महमूद गौस उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
भू–स्वामित्व	भूमि आवेदक के नाम पर है।	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 607, 608, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 610/1 एवं 610/2 क्षेत्रफल – 1.219 हेक्टेयर क्षमता – 9,819.42 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 07/01/2017 वैधता अवधि – दिनांक 06/01/2022	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 06/01/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – नहीं **क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित	दिनांक – 20/09/2022 वर्ष 2017–18 में 2,050 टन वर्ष 2018–19 में 2,375 टन वर्ष 2019–20 में 500 टन वर्ष 2020–21 में 470 टन	दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

जानकारी	वर्ष 2021–22 में 250 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत रानीजरौद दिनांक 14/06/2012	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 05/01/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 09/01/2022	32 खदानें, रकबा 63.864 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 09/01/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड का विवरण	लीज धारक – श्रीमती आनंदी शर्मा अवधि–16/08/2012 से 15/05/2042	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक – 02/03/2022	वन क्षेत्र से दूरी – 9.79 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – रानीजरौद 800 मीटर स्कूल ग्राम – रानीजरौद 1.9 कि.मी. अस्पताल – सुहेला 3.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 31 कि.मी. राज्यमार्ग – 9.3 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 4,02,845 टन माईनेबल 1,76,041 टन रिकव्हरेबल 1,67,238 टन प्रस्तावित गहराई 15 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 6.55 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 24,000 टन द्वितीय 26,625 टन तृतीय 28,425 टन चतुर्थ 27,975 टन पंचम 27,300 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,490 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।

वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 960 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,90,470 रूपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 685, दिनांक 22/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग – 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 $PM_{2.5}$ – 19.92 से 19.56 μg/m^3 PM_{10} – 123.2 से 139.23 μg/m^3 SO_2 – 7.22 से 8.35 μg/m^3 NO_2 – 15.23 से 18.81 μg/m^3 Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 49.4 से 53.7 Night L_{eq} – 39.2 से 42.8 PM_{10} का मान उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य – जनवरी 2024 से फरवरी 2024 $PM_{2.5}$ – 22.6 से 41.4 μg/m^3 PM_{10} – 61.9 से 93.8 μg/m^3 SO_2 – 8.9 से 14.9 μg/m^3 NO_2 – 10.7 से 17.6 μg/m^3 Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 48.1 से 53.2 Night L_{eq} – 42.3 से 48.2 निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।	गुणवत्ता मापन स्थलः परिवेशीय वायु – 08 भू–जल – 03 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 04 मिट्टी के नमूने – 03 अतिरिक्त गुणवत्ता मापन स्थलः परिवेशीय वायु – 08 भू–जल – 06 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 08 मिट्टी के नमूने – 06 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
पी.सी.यू. की गणना	वर्तमान में 250 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.16 परियोजना उपरांत 550 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.36	लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक Very Good के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 96.51 μg/m^3 है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय – प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम – रानीजरौद स्थित निजी भूमि (खसरा क्रमांक 607) तहसील – सिमगा, जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	**मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–** 1. ग्राम वासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगो को रोजगार मिले। 2. ब्लास्टिंग से ग्रामवासियों की दिनचर्या प्रभावित होती है। ब्लॉस्टिंग नहीं होना चाहिए।	**निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–** 1. खदान चालू होने से ग्राम वासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जायेगा। 3. शासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया

	3. गाँव का जल स्तर नीचे जा रहा है। गर्मियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	जायेगा।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 33 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,39,16,500 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 4,08,734 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14 / 03 / 2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02 / 08 / 2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 65.083 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाले खदानों में से कुछ खदानों का अमलगमेशन होने के कारण खदानों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.32	2%	0.72	Following activities at Nearby, Muktidham **Village- Ranijaroud**	
			Plantation at Cremation ground	2.61
			Total	**2.61**

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–रानीजरौद के मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,250 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 15,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,250 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,61,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} – 123.2 से 139.23 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM_{10} – 61.9 से 93.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के

नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

9. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईन प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री अनिल कुमार जसवानी, लो–ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1797)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 66876 एवं 03/09/2021 ई.सी. – 451384 एवं 04/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.092 हेक्टेयर एवं 14,792.63 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	91	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किशन चंद जसवानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अनिल कुमार जसवानी, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एएमपीएल इन्व्हायरों प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री मोहम्मद महमूद गौस उपस्थित हुए।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि आवेदक के नाम पर है।	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 91 क्षेत्रफल – 1.092 हेक्टेयर क्षमता – 14,817.52 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 10/01/2017 वैधता अवधि – 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 09/01/2022 तक	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी

		दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक 27/03/2023 2017–18 में 7,500 टन 2018–19 में 8,500 टन 2019–20 में 5,500 टन 2020–21 में 2,500 टन 2021–22 में 6,500 टन 2022–23 (जनवरी 2023) में 5,080 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत रानीजरौद दिनांक 09/04/2001	अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 वर्ष हेतु जारी किया गया था। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/03/2017	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 17/05/2022	33 खदानें, रकबा 65.093 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 17/05/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड का विवरण	लीज़ धारक – श्री अनिल कुमार जसवानी अवधि–03/10/2001 से 02/10/2031	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक – 11/06/2001	लीज क्षेत्र से निकतटम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – रानीजरौद 870 मीटर स्कूल ग्राम – सुहेला 2.5 कि.मी. अस्पताल – सुहेला 2.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 36 कि.मी. राज्यमार्ग – 9.36 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता	संलग्न है।

	क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 3,55,752 टन माईनेबल 1,64,884 टन रिकव्हरेबल 1,48,396 टन प्रस्तावित गहराई 23 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 16,436.25 टन द्वितीय 16,436.25 टन तृतीय 16,436.25 टन चतुर्थ 16,436.25 टन पंचम 16,436.25 टन षष्टम 16,436.25 टन सप्तम 16,436.25 टन अष्ठम 16,436.25 टन नवम 16,436.25 टन दशम 16,436.25 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,510.17 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी – अवस्थित नहीं है।	–
जल आपूर्ति	मात्रा – 3 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 666 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,69,520 रूपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 683, दिनांक 22/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग – 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 $PM_{2.5}$ – 19.92 से 19.56 µg/m^3 PM_{10} – 123.2 से 139.23 µg/m^3 SO_2 – 7.22 से 8.35 µg/m^3 NO_2 – 15.23 से 18.81 µg/m^3 Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 49.4 से 53.7 Night L_{eq} – 39.2 से 42.8 PM_{10} का मान उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य – जनवरी 2024 से फरवरी 2024 $PM_{2.5}$ – 22.6 से 41.4 µg/m^3 PM_{10} – 61.9 से 93.8 µg/m^3 SO_2 – 8.9 से 14.9 µg/m^3 NO_2 – 10.7 से 17.6 µg/m^3 Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 48.1 से 53.2 Night L_{eq} – 42.3 से 48.2	गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 08 भू-जल – 03 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 04 मिट्टी के नमूने – 03 अतिरिक्त गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 08 भू-जल – 06 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 08 मिट्टी के नमूने – 06 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया

	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।	जाना आवश्यक है।
पी.सी.यू. की गणना	वर्तमान में 250 पी.सी.यू. / दिन व्ही / सी अनुपात (V/C ratio) 0.16 परियोजना उपरांत 550 पी.सी.यू. / दिन व्ही / सी अनुपात (V/C ratio) 0.36	लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक Very Good के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 96.48 $\mu g/m^3$ है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23 / 09 / 2023 समय – प्रातः 10:00 बजे स्थान – ग्राम – रानीजरौद स्थित निजी भूमि (खसरा क्रमांक 607) तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19 / 10 / 2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	**मुख्य रूप से निम्न सुझाव / विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–** 1. ग्राम वासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगो को रोजगार मिले। 2. ब्लॉस्टिंग से ग्रामवासियों की दिनचर्या प्रभावित होती है। ब्लॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। 3. गॉव का जल स्तर नीचे जा रहा है। गर्मियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	**निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–** 1. खदान चालू होने से ग्राम वासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जायेगा। 3. शासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 34 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,39,16,500 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,82,873 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14 / 03 / 2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02 / 08 / 2017 को Common Cause vs. Union of India Writ

		Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 66.185 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाले खदानों में से कुछ खदानों का अमलगमेशन होने के कारण खदानों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
4. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.28	2%	0.68	Following activities at Nearby, Govt. School Ranijaroud, **Village- Ranijaroud**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर पर (आम, नीम, कदम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के

लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} – 123.2 से 139.23 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM_{10} – 61.9 से 93.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यो हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के

अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो.– श्री विवेक अग्रवाल), ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2099)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 79524 एवं 04/07/2022 ई.सी. – 451502 एवं 06/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.866 हेक्टेयर एवं 50,913.75 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 66	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एएमपीएल इन्व्हायरो प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री मोहम्मद महमूद गौस उपस्थित हुए।
भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 श्री नंदकिशोर अग्रवाल, 85/1, 85/2, 86/2 श्री अंकित अग्रवाल के नाम पर है।	खसरा क्रमांक 84 एवं 66 के भू-स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 पी2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
पूर्व में जारी ई.सी.	1. पूर्व में आवेदक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक – 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 क्षेत्रफल – 0.631 हेक्टेयर क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 14/02/2017 वैधता अवधि – 13/02/2022 2. पूर्व में आवेदक – श्री मनोज ठाकुर खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2 एवं 86/2, क्षेत्रफल – 0.978 हेक्टेयर क्षमता – 9,664.67 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 14/02/2017 वैधता अवधि – 13/02/2022 3. पूर्व में आवेदक – श्री अंकित कुमार अग्रवाल खदान का प्रकार – चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 66 क्षेत्रफल – 1.121 हेक्टेयर क्षमता – 30,225 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 10/01/2017 वैधता अवधि – 09/01/2022	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से क्रमशः दिनांक 13/02/2023, 13/02/2023 एवं 09/01/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई. सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – नहीं **क्षमता विस्तार के तहत् –** एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय

		स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017–18 में 7,685 टन 2018–19 में 11,660 टन 2019–20 में 13,415 टन 2020–21 में 12,140 टन 2021–22 में 8,000 टन 2. श्री विवेक अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017–18 में निरंक 2018–19 में निरंक 2019–20 में निरंक 2020–21 में 3,000 टन 2021–22 में निरंक 3. श्री अंकित अग्रवाल को स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 07/07/2022 2017–18 में 4,260 टन 2018–19 में 17,115 टन 2019–20 में 7,395 टन 2020–21 में 13,965 टन 2021–22 में 12,610 टन	1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2018–19 में 11,660 टन, 2019–20 में 13,415 टन एवं 2020–21 में 12,140 टन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। 2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति श्री मनोज ठाकुर के नाम पर है, परंतु खनिज विभाग द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में श्री विवेक अग्रवाल का नाम उल्लेखित है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत रानीजरौद दिनांक 19/02/2014	क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 23/05/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 05/07/2022	33 खदानें, रकबा 62.363 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 05/07/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड का विवरण	1. लीज धारक – श्री विवेक कुमार अग्रवाल खसरा क्रमांक – 84, 85/1, 85/2, 86/2 कुल क्षेत्रफल – 0.978 हेक्टेयर वैधता अवधि – 27/07/2006 से 26/07/2036 2. लीज धारक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल खसरा क्रमांक – 80, 81/1, 81/2,	समामेलन पश्चात् कुल क्षेत्र – 2.866 हेक्टेयर

	81/3, 81/4 कुल क्षेत्रफल – 0.631 हेक्टेयर वैधता अवधि – दिनांक 15/01/2009 से 14/01/2039 तक 3. लीज धारक – श्री अंकित अग्रवाल खसरा क्रमांक – 66 कुल क्षेत्रफल – 1.121 हेक्टेयर वैधता अवधि – दिनांक 10/03/2017 से 09/03/2047 तक 4. शामिल क्षेत्र नियम 57 (6) के अनुसार • लीज धारक – श्री नंदकिशोर अग्रवाल खसरा क्रमांक – 80 कुल क्षेत्रफल – 0.06 हेक्टेयर • लीज धारक – शासकीय भूमि खसरा क्रमांक –84 कुल क्षेत्रफल – 0.04 हेक्टेयर • लीज धारक – श्री अंकित अग्रवाल खसरा क्रमांक –85/2 कुल क्षेत्रफल – 0.03 हेक्टेयर	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 21/10/2022	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – रानीजरौद 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – रानीजरौद 1.5 कि.मी अस्पताल – सुहेला 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 35 कि.मी. राज्यमार्ग – 15 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स** – जियोलॉजिकल 17,62,460 टन माईनेबल 7,23,545 टन रिकव्हरेबल 6,87,367 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 50,913.50 टन द्वितीय 50,913.50 टन तृतीय 47,812.50 टन चतुर्थ 50,775.00 टन पंचम 50,892.50 टन

	प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 14.3 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – हाँ क्षेत्रफल – 600 वर्गमीटर	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,780 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 6,995 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,755 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,32,900 रूपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 681, दिनांक 22/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग – 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 $PM_{2.5}$ – 19.92 से 19.56 $\mu g/m^3$ PM_{10} – 123.2 से 139.23 $\mu g/m^3$ SO_2 – 7.22 से 8.35 $\mu g/m^3$ NO_2 – 15.23 से 18.81 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 49.4 से 53.7 Night L_{eq} – 39.2 से 42.8 PM_{10} का मान उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य – जनवरी 2024 से फरवरी 2024 $PM_{2.5}$ – 22.6 से 41.4 $\mu g/m^3$ PM_{10} – 61.9 से 93.8 $\mu g/m^3$ SO_2 – 8.9 से 14.9 $\mu g/m^3$ NO_2 – 10.7 से 17.6 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 48.1 से 53.2 Night L_{eq} – 42.3 से 48.2 निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।	गुणवत्ता मापन स्थलः परिवेशीय वायु – 08 भू–जल – 03 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 04 मिट्टी के नमूने – 03 अतिरिक्त गुणवत्ता मापन स्थलः परिवेशीय वायु – 08 भू–जल – 06 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 08 मिट्टी के नमूने – 06 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

पी.सी.यू. की गणना	**पक्का रोड हेतु** वर्तमान में 250 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.16 परियोजना उपरांत 550 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.36	**पक्का रोड हेतु** लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक Very Good के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 96.81 $\mu g/m^3$ है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय – प्रातः 10:00 बजे स्थान – ग्राम – रानीजरौद स्थित निजी भूमि (खसरा क्रमांक 607) तहसील – सिमगा, जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	**मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–** 1. ग्राम वासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगो को रोजगार मिले। 2. ब्लॉस्टिंग से ग्रामवासियों की दिनचर्या प्रभावित होती है। ब्लॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। 3. गॉव का जल स्तर नीचे जा रहा है। गर्मियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	**निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–** 1. खदान चालू होने से ग्राम वासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जायेगा। 3. शासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 33 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,39,16,500 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,83,449 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैः– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ

		Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 65.229 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाले खदानों में से कुछ खदानों का अमलगमेशन होने के कारण खदानों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा के खसरा क्रमांक 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 में खनिज चूना पत्थर मात्रा–480 टन का अवैध रूप से खनन किये जाने के संबंध में श्री नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा अर्थदण्ड राशि 2,19,400 रूपये जमा की गई है, जिसके रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.6	2%	1.01	Following activities at Nearby, Govt. Primary school at,	

			Village- Khapri	
			Plantation	3.12
			Total	**3.12**

6. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नग पौधों के लिए राशि 7,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,28,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,71,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,41,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 एवं 28/01/2022 के माध्यम से उल्लंघन की प्रकरण हेतु एस.ओ.पी. तैयार किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:–

   "Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/02/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:–

   "5. We clarify that our orders dated 02nd January, 2024 would not come in the way of the competent authorities in considering the proposals for modifications/alterations in the Environmental Clearances if area of such projects had any valid environmental clearances prior to 07th July, 2021.

   6. Needless to state that such applications for modification/alteration would be considered by the competent authorities strictly in accordance with law as it existed prior to 07th July, 2021.

   7. We further clarify that our order should not be construed as having stayed any proceedings before any High Courts touching the subject matter of the Office Memoranda, referred to above."

10. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} – 123.2 से 139.23 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM_{10} – 61.9 से 93.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को क्षमता – 11,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2018–19 में 11,660 टन, 2019–20 में 13,415 टन एवं 2020–21 में 12,140 टन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अनुसार Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति श्री मनोज ठाकुर के नाम पर है, परंतु खनिज विभाग द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में श्री विवेक अग्रवाल का नाम उल्लेखित है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. खसरा क्रमांक 84 एवं 66 के भू–स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 एवं पी2) प्रस्तुत किया जाए।
5. क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
11. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को **writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors.** में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र **(Notarized undertaking)** प्रस्तुत किया जाए।

13. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि **1** मार्च **2022** से **31** मई **2022** एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी **2024** से फरवरी **2024** (**01** माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत् स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

14. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स छोटेकड़मा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कुरसम साम्बैया), ग्राम–छोटेकड़मा, तहसील–दरभा, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2096)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 79176 एवं 29/06/2022 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 14/07/2022 जानकारी प्राप्त दिनांक – 24/02/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.42 हेक्टेयर एवं 62,500 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	169, 170, 175, 176, 177 एवं 179	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	भूमि खसरा क्रमांक 170, 176, 179 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 169, 175, 177 श्रीमती सण्ड्रा लक्ष्मी के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त – हाँ
बैठक का विवरण	518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 07/03/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री कुरसम साम्बैया, प्रोपराईटर उपथित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी गई है।	–
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़ेकड़मा दिनांक 05/12/2020	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 07/10/2021	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 22/09/2023	17 खदानें, क्षेत्रफल 28.92 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 22/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई. का विवरण	एल.ओ.आई. धारक – श्री कुरसम साम्बैया दिनांक – 19/07/2021 वैधता अवधि – 1 वर्ष	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 29/12/2023 वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति

		आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बड़े कड़मा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – छोटे कड़मा 3.04 कि.मी. अस्पताल – जगदलपुर 21 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 4 कि.मी.	इन्द्रावती नदी – 24 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया स्थित नहीं है।	कार्यालय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 158, दिनांक 14/01/2022 से जारी पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से 3.73 कि.मी. एवं ईको सेंसेटिव जोन से 1.6 कि.मी. की दूरी पर है। समिति का मत है कि उपरोक्त बाबत् आवेदित क्षेत्र का वन्य जीव संरक्षण योजना तैयार कर वन विभाग के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत फाईनल ई.आई.ए. में शामिल करते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 1.71 मिलियन टन माईनेबल 1.032 मिलियन टन प्रस्तावित गहराई 20.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 29 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 12,500 टन द्वितीय 25,000 टन तृतीय 37,500 टन चतुर्थ 50,000 टन पंचम 62,500 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 7,325.2 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 13,043.92 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर	परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति के स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,467 नग	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 32.34 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई. ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & sanctuary.

v. Project proponent shall submit a Wildlife conservation plan from competent authority and incorporate in the EIA report.

vi. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कोमन लाल साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1709)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63920/2021, दिनांक 16/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /306971/2023, दिनांक 06/12/2023 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 84/1, 2, 3, 4, 85 एवं 89/2, कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर 0.49 हेक्टेयर** करते हुये टी.ओ.आर. में संशोधन किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,140 टन (456 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 23/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ. आर. जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/09/2021 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर 0.49 हेक्टेयर** किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

"टी.ओ.आर. हेतु आवेदन पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति, अनुमोदित खनन योजना एवं माईनिंग विभाग द्वारा जारी क्लस्टर प्रमाण पत्र के आधार पर 0.57 हेक्टेयर हेतु किया गया था। चूँकि लीज अनुबंध रकबा 0.49 हेक्टेयर में किया गया है, जिसके आधार पर पुनः खनन योजना को संशोधित कर अनुमोदित कराया गया है।"

अतः उक्त प्रकरण में पूर्व में जारी टी.ओ.आर. में रकबा 0.57 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा **0.49 हेक्टेयर कर** संशोधित टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही फार्म–03, अनुमोदित क्वारी प्लान, फार्म–01,

प्री–फिसिबिलिटी, संशोधित 200 मीटर, संशोधित 500 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण में पूर्व में जारी टी.ओ.आर. में रकबा 0.57 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.49 हेक्टेयर कर संशोधित टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस बाबत् फार्म–03, अनुमोदित क्वारी प्लान, फार्म–01, प्री–फिसिबिलिटी, संशोधित 200 मीटर, संशोधित 500 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 23/09/2021 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में "रकबा 0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर 0.49 हेक्टेयर**" किये जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 23/09/2021 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 506वीं, 507वीं एवं 508वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/01/2024, 10/01/2024 एवं 11/01/2024 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 29/02/2024 को किया गया।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 509वीं, 510वीं एवं 511वीं बैठक क्रमशः दिनांक 29/01/2024, 30/01/2024 एवं 31/01/2024 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 11/03/2024 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कुलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

मेसर्स गुरूदेव स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मुकेश जैन) को खसरा क्रमांक 1859(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 0.96 हेक्टेयर, ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर में फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 9,030 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.96 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्शी पत्थर का अधिकतम उत्खनन 9,030 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.27	2%	0.72	Following activities at Nearby, Village- Paragaon	
			Pavitra van nirman	6.41
			Total	**6.41**

22. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, कदंब, जामुन, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,08,000 रूपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,99,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,42,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पारागांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 333, क्षेत्रफल 1.210 हेक्टेयर में से 0.10 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 300 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 500 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू–जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने

वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**